अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या – 363 /2013–14

मिथिलेश नारायण चौधरी बनाम विशम्भर नारायण चौधरी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
	उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा कागजातों का अवलोकन किया। वादी ने इस वाद के तहत् मौजा–हथौड़ी कोठी अवस्थित खेसरा नं0–5380, 5381, 5382 (पुराना) 7685, 7686, 7687, 7688 रकवा–3 वीघा 8 कट्ठा 12 धुर भूमि को लेकर दायर किया है। इनका कहना है कि प्रश्नगत भूमि इन्हे P.S No- 117/56 को बने सिड्युल के आधार पर इन्हे प्राप्त है। इस सिड्युल के भूमि में से विपक्षी द्वारा 1 वीघा 6 कट्ठा 8 धुर भूमि को नया सर्वे मे अपने नाम से करवा लिया है। विपक्षी अपने जबाब में उल्लेख किया है कि हेमकान्त नारायण चौधरी को 5 पुत्र थे जिसमे और उस समय दायर P.S No- 117/56 में सुलहनामा के आधार पर कार्रवाई समाप्त कि गई उस वाद में जो सिड्युल बना वह सिड्युल 1 की भूमि को प्राप्त है तथा सिड्युल 2 वादी को प्राप्त है। इनका यह भी कहना है कि खेसरा नं0–1940 तथा 1942 को धारित रकवा में दोनों ही को दिया गया है जिसका रकवा 5 वीघा 9 कट्ठा और 2 वीघा 15 कट्ठा 18 धुर है जिसमें P.S No- 117/1956 के अनुसार 1/5 हिस्सा के अनुकुल खेसरा नं0–1942 एवं 1940 में 1 वीघा 1 कट्ठा 16 धुर और 11 कट्ठा 3 धुर 9 कनमा दोनों को मिला। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत कागजातों एवं लिखित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों के बीच जो मामला है उसका निराकरण इस न्यायालय द्वारा सम्भव नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त कि जाती है। वादी अगर चाहे तो अपने स्वत्व एवं अधिकार के लिये सक्षम व्यवहार न्यायालय में मामला दायर कर सकते है। **लेखापित एव शुद्धित** 30/08/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 30/08/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	